

I

**आदेश**

दिनांक-05.01.2023 को आयोजित स्क्रीनिंग समिति की बैठक में समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में सेवाकाल में मृत निम्नांकित कर्मी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर लिपिक के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव उनके नाम के सामने अंकित कॉलम-4 में वर्णित कारणों से अस्वीकृत किया जाता है।

क्र० सं०	आश्रित का नाम/मृतक से संबंध	मृतक का नाम/पदनाम/पदस्थापन	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	धीरज कुमार हेनरी/पुत्र	स्व० दीपक कुमार हेनरी/लिपिक/सुपौल	अस्वीकृत (मृतक के एक अन्य पुत्र को नियोजित शिक्षक रहने के कारण।)

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण),  
बिहार, पटना।

पत्र संख्या:-पी0-4/43-38-200-2021/.....163.....

बिहार पुलिस मुख्यालय  
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

पटना, दिनांक :- 10.05.2023

प्रतिलिपि :-

1. पुलिस अधीक्षक, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।  
-आवेदक धीरज कुमार हेनरी का सभी कागजात मूल रूप में अथवा जिस रूप में प्राप्त हुआ है आपके कार्यालय को वापस की जा रही है।
2. आई०टी० मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण),  
बिहार, पटना।